स्थिति सं.2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या - 2

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/ 28 आषाढ़, 1943 (शक)

कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***2. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):**
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को उबारने के लिए हाल ही में 6.28 लाख करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को ऋण प्रदान किए जाने हेतु बैंकों को गारंटी प्रदान करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के आकार को 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए करने की भी योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ईसीएलजीएस के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र को ऋण गारंटी प्रदान करने तथा सीमाओं के पुन: खुलने पर पहले पांच लाख पर्यटकों को नि:शुल्क वीजा प्रदान करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) इस संबंध में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कदम क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) और डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा 'कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन पैकेज 'के संबंध में 19 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 2 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) जी, हाँ। भारत सरकार ने 28 जून, 2021 को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। पैकेज का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है। सरकार ने तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपायों की घोषणा की है: -

i) **महामारी से आर्थिक राहत**: घोषित प्रोत्साहन पैकेज में आठ उपायों का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। पैकेज के इस भाग में, सरकार ने स्वास्थ्य और यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान दिया है।

ii) **सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना**: क्रेडिट गारंटी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के अलावा, बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/चिकित्सा बिस्तरों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

iii) **विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन**: घोषित प्रोत्साहन पैकेज में आठ उपायों का उद्देश्य, विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

(ख) जी, हाँ। भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नई या मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) को छोटे लेनदारों को 1.25 लाख रुपए से लगभग 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसमें प्रत्येक मामले में बैंकों द्वारा निर्धारित ऋणों पर ब्याज दर, निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) 2% अधिक रहेगी।

(ग) जी, हाँ। सरकार ने मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का निर्णय किया है। ईसीएलजीएस को इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए और 2.10 लाख करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

(घ) जी, हाँ। सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता-प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइडों और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता-प्राप्त पर्यटक गाइडों; और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता-प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) को कार्यशील पूंजी/ व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ड.) उपर्युक्त उपायों के अलावा, सरकार ने और भी कई कदम उठाए हैं। इनमें 31 मार्च 2022 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार; डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार - मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न; राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन; निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन; भारतनेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपए; और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल का विस्तार शामिल है।

*****

भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. †*285

उत्तर देने की तारीख 09.08.2021

जनजातियों पर अत्याचार

†*285. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह संज्ञान लिया है कि देश में जनजातीय समुदाय पर अत्याचारों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में जनजातीय लोगों के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष सूचित/दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है और एनसीएसटी द्वारा उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे विभिन्न सुधारात्मक कदम क्या हैं;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयनित हुए जनजातीय समुदाय के युवाओं की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके जनजातीय समुदाय के युवाओं की संख्या उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के सभापटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2017-2019 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध/अत्याचारों के तहत राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर), चार्ज-शीट किए गए मामले (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्ति (पीसीवी) के विवरण **अनुलग्नक- I** में संलग्न है।

पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों के उत्पीड़न के संबंध में निपटाए गए मामलों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एक विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए संसद का एक अधिनियम अर्थात् अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया था, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2015 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम में नए अपराध, अनुमानों का विस्तारित दायरा, संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मामलों के त्वरित निपटान, अपराधों के प्रत्यक्ष संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्तियों तथा जहां तक संभव हो आरोप पत्र दायर करने की तारीख से दो महीने के भीतर विचारण को पूरा करने, पीड़ितों और गवाहों के अधिकार स्थापित करने तथा निवारक उपायों को मजबूत बनाने के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों के विनिर्देशन शामिल हैं। यह अधिनियम पीड़ितों को राहत/मुआवजा भी प्रदान करता है और देश में आईपीसी के संयोजन में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी निर्धारित करता है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अपराधों सहित अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं। सरकार अत्याचारों के त्वरित पंजीकरण, अपराधों की त्वरित जांच और न्यायालयों द्वारा मामलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की कानून कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा कर रही है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पीओए अधिनियम और नियमों को अक्षरश: प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी की हैं।

(घ) यूपीएससी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुशंसित अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है::

वर्ष	अनुशंसित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या
2016-17	295
2017-18	274
2018-19	177
2019-20	284
2020-21	168

(ङ) इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी लाभार्थियों/निर्मुक्त निधि का विवरण **अनुलग्नक-III** (क,ख,ग,घ,ङ,च,छ और ज) में दिया गया है।

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

2017-2019 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ कुल अपराध के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), चार्जशीटेड किए गए मामले (सीसीएस), दोषी ठहराए जाने संबंधी मामले (सीओएन), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी व्यक्ति संबंधी मामले (पीसीवी)।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र राज्यक्षेत्र	2017						2018						2019					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	341	196	2	540	423	3	330	252	11	589	566	32	330	193	2	511	454	4
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	65	45	0	65	49	0	6	1	0	3	1	0	4	1	0	3	1	0
4	बिहार	80	52	1	139	58	1	64	75	0	108	111	0	97	85	2	127	161	3
5	छत्तीसगढ	399	399	100	576	607	117	388	377	41	624	598	53	427	387	39	660	624	55
6	गोवा	2	4	0	0	22	0	5	3	1	1	3	1	2	2	0	0	2	0
7	गुजरात	319	294	4	890	820	4	311	272	1	810	837	1	321	289	5	727	752	7
8	हरयाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
9	हिमाचल प्रदेश	3	5	0	19	12	0	1	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	237	109	25	187	164	26	224	84	3	131	117	5	342	242	10	237	302	10
12	कर्नाटक	401	352	4	837	823	17	322	317	2	726	759	2	327	249	3	800	769	9
13	केरल	144	115	3	157	129	5	138	175	6	245	223	6	140	94	2	139	119	2

14	मध्य प्रदेश	2289	2335	399	3668	3732	553	1868	1862	287	2858	3173	446	1922	1845	414	2643	3132	638
15	महाराष्ट्र	464	374	15	1009	731	24	526	415	23	1168	930	25	559	447	30	1105	888	47
16	मणिपुर	1	1	0	3	3	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	700	612	0	763	723	0	557	697	3	308	794	4	576	682	0	481	752	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
22	राजस्थान	984	443	172	933	934	240	1095	597	115	1083	1182	168	1797	832	194	1585	1674	327
23	सिक्किम	6	4	2	5	4	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1
24	तमिलनाडु	22	16	2	23	22	3	15	11	0	32	21	0	31	28	6	81	46	10
25	तेलंगाना	435	293	7	572	399	8	419	298	6	629	512	8	530	420	31	868	710	33
26	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0
27	उत्तर प्रदेश	88	72	2	164	231	2	145	110	1	333	322	7	721	624	1	1024	1844	1
28	उत्तराखंड	11	11	2	11	11	2	7	5	1	5	5	1	8	7	1	10	9	1
29	पश्चिम बंगाल	122	76	1	88	116	1	101	60	1	67	82	1	101	60	1	67	82	1
	कुल राज्य(एस)	**7114**	**5808**	**741**	**10649**	**10013**	**1008**	**6524**	**5614**	**503**	**9724**	**10239**	**761**	**8252**	**6501**	**742**	**11081**	**12336**	**1149**
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	3	3	1	4	7	1	1	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	दादर और नगर हवेली	5	3	0	7	14	0	3	3	0	0	20	0	0	1	0	8	6	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	4	4	0	4	4	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्यक्षेत्र (एस)	**11**	**10**	**3**	**12**	**22**	**7**	**4**	**5**	**0**	**2**	**22**	**0**	**5**	**1**	**0**	**10**	**6**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**7125**	**5818**	**744**	**10661**	**10035**	**1015**	**6528**	**5619**	**503**	**9726**	**10261**	**761**	**8257**	**6502**	**742**	**11091**	**12342**	**1149**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पश्चिम बंगाल से 2019 के लिए समय पर डेटा प्राप्त न होने के कारण, 2018 के लिए प्रस्तुत डेटा का उपयोग किया गया है

अनुलग्नक-II

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों (यानी 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के दौरान जनजातीय लोगों के उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों और की गई कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2018-19			2019-20			2020-21		
	मामलों की संख्या			मामलों की संख्या			मामलों की संख्या		
	कुल सं.	निपटाए गए/ बंद किए गए	प्रगति-अधीन #	कुल सं.	निपटाए गए / बंद किए गए	प्रगति-अधीन #	कुल सं.	निपटाए गए/ बंद किए गए	प्रगति-अधीन #
आंध्र प्रदेश	73	05	68	96	23	73	40	04	36
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	12	-	12	02	-	02
असम	05	-	05	17	01	16	01	-	01
बिहार	40	05	35	33	11	22	16	01	15
छत्तीसगढ	112	44	68	185	92	93	19	02	17
गोवा	05	01	04	02	-	02	01	-	01
गुजरात	24	03	21	30	01	29	07	01	06
हरयाणा	03	01	02	03	-	03	02	-	02
हिमाचल प्रदेश	07	-	07	05	-	05	07	01	06
जम्मू और कश्मीर	02	01	01	-	-	-	04	-	04
झारखंड	109	36	73	127	26	101	44	02	42
कर्नाटक	16	05	11	22	01	21	06	-	06
केरल	09	03	06	04	02	02	02	-	02
मध्य प्रदेश	248	57	191	160	28	132	55	06	49
महाराष्ट्र	179	69	110	218	34	184	42	01	41
मणिपुर	05	-	05	09	-	09	04	-	04
मेघालय	04	01	03	08	-	08	01	-	01
मिजोरम	01	-	01	02	-	02	-	-	-
नागालैंड	04	-	04	07	-	07	01	-	01
ओडिशा	85	47	38	80	33	47	42	02	40
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	353	264	89	233	25	208	38	01	37
सिक्किम	02	-	02	-	-	-	-	-	-

तमिलनाडु	28	07	21	19	05	14	22	-	22
तेलंगाना	34	01	33	100	14	86	42	-	42
त्रिपुरा	03	01	02	03	-	03	-	-	-
उत्तर प्रदेश	51	04	47	62	03	59	66	05	61
उत्तराखंड	08	-	08	08	01	07	12	-	12
पश्चिम बंगाल	59	27	32	50	26	24	15	01	14
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01	-	01	03	-	03	05	-	05
चंडीगढ़	01	-	-	01	-	01	01	-	01
दिल्ली	25	-	25	28	02	26	21	01	20
दादरा और नगर हवेली	21	01	20	27	04	23	13	-	13
दमन और दीव	01	-	01	-	-	-	-	-	-
पुदुचेरी	-	-	-	04	01	03	02	-	02
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**1518**	**583**	**934**	**1558**	**333**	**1225**	**533**	**28**	**505**

नोट: # प्रक्रियाधीन उन मामलों को इंगित करता है जो पहले ही संबंधित अधिकारियों के साथ उठाए जा चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम रूप से निपटाए/बंद नहीं किए गए हैं।

अनुलग्नक– III क

2016-17 से 2020-21 के दौरान टीएसएस को एससीए के तहत कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए लाभार्थी विवरण के साथ स्वीकृत निधि का राज्य-वार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
		स्वीकृत निधि	**लाभार्थी लगभग**	**स्वीकृत निधि**	**लाभार्थी लगभग**	**स्वीकृत निधि**	**लाभार्थी लगभग**	**स्वीकृत निधि**	**लाभार्थी लगभग**	**स्वीकृत निधि**	**लाभार्थी लगभग**
1	आंध्र प्रदेश	40.00	50	300	450	0	0	0	0	0.00	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	15	50	0.00	0
3	असम	0.00	0	0	0	0	0	0	0	440.00	1400
4	बिहार	430.18	4620	0	0	0	0	0	0	138.79	1368
5	छत्तीसगढ	1990	5900	0	0	200	667	360	1200	0.00	0
6	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
7	गुजरात	1524.00	700	1750	8540	1608	5360	1629.33	3625	900.00	6332
8	हिमाचल प्रदेश	180.64	602	260	866	215	717	183.85	613	140.00	267
9	जम्मू और कश्मीर	500.00	3000	100	333	0	0	0	0	0.00	0
10	झारखंड	0.00	0	300	250	0	0	700.00	2333	1800.00	9000
11	कर्नाटक	0.00	0	1000.00	2000	0	0	250	833	1540.08	5133
12	केरल	351.00	290	100.52	443	0	0	0	0	0.00	0
13	मध्य प्रदेश	1177.19	6500	4100	7500	3492.67	11642	0	0	1120.55	3735
14	महाराष्ट्र	1000.00	1000	0	0	0	0	0	0	0.00	0
15	मणिपुर	0.00	0	187.4	131	258.48	862	172.32	50	0.00	0

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		स्वीकृत निधि	लाभार्थी लगभग	स्वीकृत निधि	लाभार्थी लगभग	स्वीकृत निधि	लाभार्थी लगभग	स्वीकृत निधि	लाभार्थी लगभग	स्वीकृत निधि	लाभार्थी लगभग
16	मेघालय	0.00	0	0	0	498.55	1662	0	0	377.6	1259
17	मिजोरम	0.00	0	0	0	300	1000	0	0	0.00	0
18	नागालैंड	0.00	0	0	0	0	0	200	667	100.00	333
19	ओडिशा	7093.35	23645	5200	29378	3250	10833	2200	7333	299.00	997
20	राजस्थान	0.00	0	0	0	504	1680	800	267	475.00	1583
21	सिक्किम	20.00	50	70.30	100	0	0	0	0	170.00	283.00
22	तमिलनाडु	0.00	0	0	0	0	0	0	0	75.75	252
23	तेलंगाना	312.50	10000	800.00	2667	500	1667	150	500	0.00	0
24	त्रिपुरा	450.00	2093	290	1620	0	0	50	167	59.70	199
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0	200.0	667	0.00	0	86.00	287	279.82	50
26	उत्तराखंड	0.00	0	100.00	333	0	0	0	0	206.60	2040
27	पश्चिम बंगाल	990.00	5500	1370	7000	1438.5	4795	912	5000	605.00	2016
कुल		**16058.86**	**63950**	**13921.1**	**62278**	**12265.2**	**40885**	**6888.65**	**22925**	**8727.89**	**36247**

अनुलग्नक III ख

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान योजना के अधीन पीएसी द्वारा स्वीकृत कौशल विकास हेतु लाभार्थियों की संख्या की सूची

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	असम	1120				
2.	बिहार					
3.	छत्तीसगढ					3040
4.	गुजरात	17000	3913			566
5.	हिमाचल प्रदेश	400	480	376	260	66
6.	झारखंड			10416		
7.	कर्नाटक			2000		
8.	मध्य प्रदेश	4800		2400		
9.	महाराष्ट्र			931	1166	1833
10.	मणिपुर					1166
11.	मेघालय		300		1663	
12.	मिजोरम		186	1673	816	200
13.	नगालैंड		853	316		
14.	राजस्थान				1000	666
15.	तेलंगाना	10000				
16.	त्रिपुरा			366		
17.	पश्चिम बंगाल			326	330	

नोट- राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और पीएसी द्वारा उनके अनुमोदन के अनुसार संख्या अनुमानित आधार पर है। हालांकि, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और अन्य विवरण संबंधित राज्यों द्वारा बनाए रखा जाता है।

अनुलग्नक III ग

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

लाभार्थियों की संख्या सहित वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	जनजातीय लाभार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत निधि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	263	77658	3882.9
2	असम	128	37786	1920
3	बिहार	8	1630	81.5
4	छत्तीसगढ	139	41700	2085
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	116	34424	1721.2
8	लद्दाख	10	3000	150
9	झारखंड	39	11601	569.7
10	कर्नाटक	39	11448	572.4
11	केरल	28	7732	385.25
12	मध्य प्रदेश	86	25800	1290
13	महाराष्ट्र	264	79350	3960
14	मणिपुर	200	60390	2996.8
15	मेघालय	39	11835	584.1
16	मिजोरम	159	46168	2306.55
17	नागालैंड	206	61800	3090
18	ओडिशा	156	46807	2269.25
19	राजस्थान	189	57292	2832.2
20	सिक्किम	80	24000	1169.05
21	तमिलनाडु	7	2100	105
22	तेलंगाना	17	5100	255
23	त्रिपुरा	32	9039	436.95
24	उत्तर प्रदेश	12	3591	179.55
25	उत्तराखंड	12	3305	164.95
	कुल	2240	666858	33172.35

अनुलग्नक III घ

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान राज्यवार संवितरित निधि और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	691.30	155	2961.24	598	781.72	139	1285.03	276	5022.24	12533
2	अंडमान और निकोबारी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	245.00	7501		
3	अरुणाचल प्रदेश	1016.73	12306	689.50	10410	324.25	3773	0.00	0	970.52	435
4	असम	172.32	2982	19.06	123	4.92	12	58.20	167	5.00	2
5	छत्तीसगढ	506.47	307	1348.85	553	533.55	363	932.16	3787	197.49	236
6	गुजरात	3848.22	24883	4739.90	10812	2329.32	7485	394.75	98	1442.03	8230

7	हरियाणा					0.41	1	0.00	0		
8	हिमाचल प्रदेश	42.30	2069	79.83	61	82.30	65	40.83	75	13.40	2
9	जम्मू और कश्मीर	172.50	150	370.05	195	1249.50	327	446.25	135	408.75	175
10	झारखंड	411.91	3908	4.05	7	85.70	5	633.17	3767	1001.60	10752
11	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	26.89	34	47.38	1911	3109.08	3014
12	केरल	129.91	152	95.72	88	143.40	107	128.31	89	298.76	192
13	मध्य प्रदेश	1084.70	942	2157.20	2209	2014.57	2265	4176.26	13282	3360.10	5685
14	महाराष्ट्र					9.43	11	1167.56	687	37.27	822
15	मणिपुरी									62.37	65
16	मेघालय	244.64	983	663.25	2726	3090.60	2329	1745.18	1412	4485.43	35016
17	मिजोरम	2277.87	26935	3456.09	2347	2136.81	1464	6459.22	4670	3324.18	1399
18	नागालैंड	79.50	22	2574.19	631	1582.23	10504	2413.22	51918	1098.72	48240
19	ओडिशा	153.60	495	310.87	1566	199.62	353	2298.15	11230	1794.44	22231
20	राजस्थान	1409.58	1475	3447.84	2563	1470.54	1364	2311.39	3993	2205.16	2664
21	सिक्किम	623.90	230	198.56	86	0.92	1	253.30	100	82.11	21

22	तमिल नाडु					47.32	65	28.50	2775	12.50	1609
23	तेलंगाना	5000.00	21000	0.00	0	10477.15	30417	2740.07	8661	5359.23	13065
24	त्रिपुरा	4428.31	3644	3054.20	3116	1009.00	429	71.41	24	2216.28	1056
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0	301.32	847	3.73	3	0.00	0	1.55	4
26	उत्तराखंड	21.60	18	71.98	104	444.92	170	102.37	23	6.15	2
27	पश्चिम बंगाल	747.60	4370	528.64	3327	1283.30	9078	558.86	4250	275.64	2089
	कुल	**23062.96**	**107,026**	**27072.34**	**42,369**	**29332.1**	**70,764**	**28536.57**	**120,831**	**36790.00**	**169,539**

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क. राज्यवार सं. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत 2016-17 से 2020-21 के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या।

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	55488	49887	19966	26906	35940
2	अरुणाचल प्रदेश	88711	293200	93022	209365	209699
3	असम	73409	85060	97368	49151	24155
4	छत्तीसगढ	2026	22624	11955	5138	16891
5	गुजरात	260526	63063	179086	160280	167172
6	हिमाचल प्रदेश	1215	2350	2462	1882	2144
7	झारखंड	177506	481132	645785	504026	179191
8	जम्मू और कश्मीर	-	140	100	366	240
9	कर्नाटक	21544	60821	179259	98994	64204
10	केरल	82022	85228	62259	-	125056
11	मध्य प्रदेश	17257	3504	5785	4481	1743
12	महाराष्ट्र:	4881	24105	3457	13706	3039
13	मणिपुर	4093	3698	4191	5969	8966
14	मेघालय	41904	140869	182650	183368	92884
15	मिजोरम	2411	2650	8402	5502	1049
16	नागालैंड	-	-	143	-	-
17	ओडिशा	60071	70982	170508	117553	47087
18	राजस्थान	802	225	1738	1549	1762
19	सिक्किम	190	647	617	412	111
20	तमिलनाडु	53862	269544	482619	194619	105938
21	तेलंगाना	6168	5504	400	91	392
22	त्रिपुरा	200	200	400	400	533
23	उत्तराखंड	2839	1440	1005	1071	1239
24	उत्तर प्रदेश	247	489	-	-	680
25	पश्चिम बंगाल	16525	180202	197149	141774	159688
26	दिल्ली	92	160	50	-	98
	कुल	**973989**	**1847724**	**2350376**	**1726603**	**1249901**

ख. राज्यवार सं. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) की योजना के तहत 2016-17 से 2018-19 के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या।

राज्य का नाम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
असम	300	600	300
कर्नाटक	-	200	100
मध्य प्रदेश	-	260	100
मेघालय	-	200	100
नागालैंड	80	-	100
तमिलनाडु	100	200	100
कुल	**480**	**1460**	**800**

*** व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की परियोजनाओं को 2019-20 से बंद कर दिया गया है।**

अनुलग्नक III च

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान ईएमआरएस में छात्रों के नामांकन की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नामांकन				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	2692	2800	3424	4609	4930
2	अरुणाचल प्रदेश	224	240	208	100	158
3	असम			480	480	480
4	बिहार					
5	छत्तीसगढ	6257	6780	7961	11519	12502
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव				120	180
7	गुजरात	9682	10172	10156	10974	8689
8	हिमाचल प्रदेश	215	210	312	422	402
9	जम्मू और कश्मीर					
10	झारखंड	1991	2829	3558	3084	2709
11	कर्नाटक	2385	2879	3053	3638	2792
12	केरल	503	600	535	520	424
13	लद्दाख					
14	मध्य प्रदेश	9568	10270	12946	20657	19712
15	महाराष्ट्र	3347	4103	5067	6272	5744
16	मणिपुर	1182	1170	1440	1439	1429
17	मेघालय					
18	मिजोरम	361	400	396	856	1051
19	नागालैंड	529	583	619	640	672
20	ओडिशा	5547	5340	5821	6711	5724
21	राजस्थान	4940	5350	4947	5938	5613
22	सिक्किम	844	915	979	987	1055
23	तमिलनाडु	1498	1553	2186	2506	2685
24	तेलंगाना	3134	4160	3960	5815	5387
25	त्रिपुरा	1575	1680	1740	1824	1880
26	उत्तर प्रदेश	427	630	473	495	495
27	उत्तराखंड	394	279	393	514	589
28	पश्चिम बंगाल	2623	2662	2737	400	398
	कुल योग	**59918**	**65605**	**73391**	**90520**	**85700***

*प्रवेश प्रक्रिया अभी भी जारी है इस लिए संभावित आंकड़ा

अनुलग्नक III छ

'जनजातियों पर अत्याचार' के संबंध में दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *285 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निर्मुक्त निधियाँ और लाभार्थी

वित्तीय वर्ष	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च स्तरीय)		राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)		राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)		कुल	
	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी
2016-17	84.17	1135446	1555.67	1870731	6.87	510	73.13	2193	0.39	16	1720.23	3008896
2017-18	294.08	1434362	1463.87	1932627	29.77	1958	69.95	3288	1.00	20	1858.67	3372255
2018-19	311.5	1284608	1646.98	1746905	18.4	1983	81.6	2519	2.00	20	2060.48	3036035
2019-20	439.99	1271112	1862.65	2060508	19.1	1914	80.9	2552	2.00	20	2404.64	3336106
2020-21	248.9	1287985	1829.08	1856571	29.3	2449	90.7	2625	4.76	20	2202.74	3149650

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभार्थी सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि का विवरण

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	0.00	167	0.00	544	10.09	439	11.34	447	13.29	700
2	आंध्र प्रदेश	9777.62	65173	8269.11	71687	13945.02	59146	7797.07	158195	6039.35	71820
3	अरुणाचल प्रदेश	1136.32	22564	5803.65	18863	1883.82	26000	6113.41	20500	5712.96	31916
4	असम	266.65	29423	2516.48	26867	3248.03	79526	4867.20	55507	5413.54	54846
5	बिहार	0.00	0	71.25	9950	0.00	12544	1525.43	13938	708.22	19513
6	छत्तीसगढ	2674.82	135586	3811.26	143320	4609.57	154656	7022.69	144453	8790.24	140163
7	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	3481.73	6180
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0.00	3720	0.00	2115	88.66	5618	—	—
9	दमन और दीव	53.63	328	26.19	196	3.41	192	0.00	351	—	—
10	गोवा	645.00	1924	364.80	4442	536.26	0	732.79	5870	458.18	6412
11	गुजरात	22040.27	192322	14609.74	214605	32429.12	0	14004.48	202667	22977.64	0
12	हिमाचल प्रदेश	931.36	3739	3123.36	10747	278.15	4729	2468.81	3009	0.00	5121
13	जम्मू और कश्मीर	2587.84	13854	2322.56	16905	637.93	27900	1048.29	10685	805.44	27839

14	झारखंड	8148.39	82422	2716.50	73385	5281.32	76782	7862.86	79823	0.00	78755
15	कर्नाटक	8540.00	109943	8873.31	101059	7341.33	111614	15003.43	118083	0.00	129094
16	केरल	3122.00	15834	2745.46	16111	2674.37	16245	1641.52	16583	3285.25	15820
17	लद्दाख	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	738.00	8200
18	मध्य प्रदेश	13054.00	263176	10320.50	272714	13405.24	289095	12198.58	244126	12344.00	279722
19	महाराष्ट्र	22092.28	163321	10884.91	147262	15238.15	131000	15575.38	139550	18149.52	127848
20	मणिपुर	3385.20	59995	6382.55	59661	2026.76	22644	6235.55	30969	2184.19	50000
21	मेघालय	3189.00	54900	770.50	35305	2457.52	0	0.00	0	0.00	17315
22	मिजोरम	4267.52	42072	2434.73	51983	3528.21	47948	4415.78	38174	3446.82	15828
23	नागालैंड	1344.00	44404	2515.00	28949	4716.66	38380	3268.73	40164	3226.37	37183
24	ओडिशा	15556.48	176579	8784.18	185888	14801.92	196667	16640.15	171532	19095.97	155309
25	पुदुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	23	19.56	38
26	राजस्थान	9800.00	126965	19912.49	135523	13598.95	269659	25950.52	286652	25557.03	315315
27	सिक्किम	938.16	2605	1247.32	2962	1134.36	4299	566.80	4431	553.83	3488
28	तमिलनाडु	3061.85	23574	2440.39	21605	3933.65	29622	5025.19	29478	3328.99	21593
29	तेलंगाना	11483.00	112236	18031.25	153845	9921.68	58253	19610.60	129243	27297.83	118347
30	त्रिपुरा	1323.90	21001	2756.25	23020	3626.55	22896	2355.78	23720	4804.98	26092
31	उत्तर प्रदेश	1057.50	5322	1244.91	2779	1210.54	0	1822.71	17984	2218.67	19782
32	उत्तराखंड	5090.57	15401	600.25	8335	0.00	6133	0.00	6499	0.00	3528
33	पश्चिम बंगाल	0.00	85901	2807.89	90395	2219.39	58421	2411.00	62234	2256.42	68804
	कुल	**155567.36**	**1870731**	**146386.79**	**1932627**	**164698.00**	**1746905**	**186264.75**	**2060508**	**182908.02**	**1856571**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभार्थी सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	0.00	325	0.00	353	5.00	222	5.62	249	12.33	450
2	आंध्र प्रदेश	0.00	39466	5282.94	34529	1210.81	0	736.32	28124	1433.81	12647
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2594	0.00	3794	0.00	0	0.00	0	0.00	5771.00
4	असम	321.33	0	0.00	10040	0.00	12933	0.00	2869	17.27	2710
5	बिहार	0.00	0	0.00	67115	0.00	46096	7131.47	46096	0.00	55198
6	छत्तीसगढ	2534.15	207956	1805.30	191864	4755.63	194413	4796.94	143986	3541.54	134262
7	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	234.00	3452
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0.00	5226	20.00	4399	38.49	5044	—	—

9	दमन और दीव	0.00	356	8.04	468	0.00	332	5.89	377	—	—
10	गोवा	52.64	3721	3.75	3640	80.83	3582	80.56	3332	41.35	3475
11	गुजरात	80.81	188593	3650.84	151113	4482.31	0	5248.34	0	2198.84	0
12	हिमाचल प्रदेश	51.21	1972	0.00	1705	38.91	3582	83.92	2709	91.87	3534
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	6131	0.00	4979	0.00	25920	0.00	0	0.00	11470
14	झारखंड	0.00	92743	1704.53	104942	2345.92	119877	1514.49	106761	0.00	83511
15	कर्नाटक	0.00	52096	1364.59	59448	1256.31	62126	1846.92	87364	0.00	72626
16	केरल	796.40	14464	0.00	14265	308.73	12121	287.31	7858	116.56	9880
17	लद्दाख	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	42.27	3450
18	मध्य प्रदेश	0.00	151611	5539.17	362120	5884.33	359092	7698.90	318870	5429.34	314356
19	महाराष्ट्र:	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	111939
20	मणिपुर	867.38	22401	619.09	9189	773.00	21006	443.33	24760	0.00	0
21	मेघालय	0.00	3273	156.69	966	0.00	0	0.00	0	0.00	790
22	मिजोरम	336.36	9843	132.25	9783	319.79	14880	702.21	16890	167.86	11046
23	नागालैंड	0.00	18780	0.00	10715	0.00	0	0.00	1500	60.75	3000
24	ओडिशा	3376.36	222837	5134.98	211425	6665.88	204916	6157.65	219875	6944.96	173833
25	पुदुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60	1.63	21
26	राजस्थान	0.00	0	3284.79	101696	1716.12	136915	5346.97	184163	3126.90	215040
27	सिक्किम	0.00	297	25.72	212	7.97	247	3.57	415	9.41	414
28	तमिलनाडु	0.00	6602	0.00	12676	0.00	12800	589.74	13423	241.00	13471
29	तेलंगाना	0.00	28966	358.02	6196	693.84	354	0.00	5570	0.00	856

30	त्रिपुरा	0.00	16723	232.89	11662	0.00	12353	386.18	10980	252.09	9404
31	उत्तर प्रदेश	0.00	8760	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32	उत्तराखंड	0.00	5687	104.44	6256	0.00	2572	0.00	2504	138.24	1329
33	पश्चिम बंगाल	0.00	29249	0.00	37985	584.62	33870	894.18	37333	788.22	30050
	कुल	**8416.64**	**1135446**	**29408.03**	**1434362**	**31150.00**	**1284608**	**43999.00**	**1271112**	**24890.24**	**1287985**

नोट:- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2013-14 से 2020-21 तक अपेक्षित दस्तावेज/प्रस्ताव जमा नहीं किए थे। इसलिए इस अवधि के दौरान कोई फंड जारी नहीं किया गया। हालांकि, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार दस्तावेजों को जमा कर दिया है और तदनुसार 28 जून 2021 के स्वीकृति आदेश के तहत 88.17 लाख रुपये की राशि जारी किए गए हैं।

अनुलग्नक- ज

एफआरए के तहत लाभार्थियों के बारे में विवरण:

राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28.02.2021 तक, 42,64,820 दावे (41,14,501 व्यक्तिगत और 1,50,319 सामुदायिक दावे) दायर किए गए हैं और 20,01,919 अधिकार-पत्र (19,24,417 व्यक्तिगत और 77,502 समुदाय) वितरित किए गए हैं। एफआरए के तहत कुल 38,03,515 (89.18%) दावों का निपटारा किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 45

सोमवार, 19 जुलाई, 2021 / 28 आषाढ़, 1943 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

45. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ए.बी.वी.के.वाई.) बीमित व्यक्तियों, जो बेरोजगार हो गए है, को राहत प्रदान करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार के गोपालगंज जिले सहित देश में योजना के अंतर्गत कुल कितने व्यक्ति शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ए.बी.वी.के.वाई. को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अवधि बढ़ाने के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य है; और

(घ) देश में गिग वर्कर्स सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की कार्यदशाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क) और (ख): जी, हाँ। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की एक कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार बीमित व्यक्तियों को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए नकद राहत प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राहत की दर मूल रूप से दावेदार की औसत दैनिक कमाई का 25% थी जिसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। यह योजना 01.07.2018 को लागू हुई। इसे आरंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था।

दिनांक 09.07.2021 तक 55,125 लाभार्थियों के बीच कुल 73.23 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं, जिसमें से बिहार के 560 लाभार्थियों को 63.65 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। वर्तमान में बिहार के गोपालगंज जिले से इस योजना के अंतर्गत कोई लाभार्थी नहीं है।

जारी/2---

(ग): जी, हाँ। एबीवीकेवाई को एक और वर्ष के लिए अर्थात 01.07.2020 से 30.06.2021 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शर्तों को दिनांक 24.03.2020 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

i. इस योजना के अंतर्गत राहत की दर को औसत प्रतिदिन के जीविकोपार्जन के 25% से बढ़ाकर औसत प्रतिदिन के जीविकोपार्जन का 50% कर दिया गया और अंशदायी शर्त में छूट दी गई।
ii. दावा दायर करने की प्रतीक्षा अवधि को 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था।
iii. नियोक्ता के माध्यम से दायर करने की अनिवार्यता और दावेदार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

इस योजना को एक और वर्ष के लिए अर्थात 30.06.2022 तक नियमों और शर्तों में वर्तमान छूट तथा बढ़ाई हुई सहायता के साथ विस्तारित कर दिया गया है।

(घ): श्रम सुधार के भाग के रूप में, सरकार ने हाल ही में असंगठित कामगारों सहित कामगारों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए "व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020" को अधिसूचित किया है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य, वेंटिलेशन, पर्याप्त प्रकाश, धूल मुक्त वातावरण, महिला कामगारों के लिए कार्यावधि में ढील, उनके बच्चों के लिए शिशु गृह की सुविधाएं, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन आदि के प्रावधान हैं।

पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में देश में गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। संहिता में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में एग्रीगेटर द्वारा गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को भुगतान या देय राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत प्रदान करने की शर्त पर एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार के एक से दो प्रतिशत के बीच अंशदान की परिकल्पना की गई है। इसे सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा किया जाएगा। हालांकि, इसे लागू नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 170

सोमवार, 19 जुलाई, 2021 / 28 आषाढ़, 1943 (शक)

आश्रितों हेतु राहत उपाय

170. श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोविड-19 के कारण मारे गए कामगारों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) कोविड-19 के कारण मारे गए कामगारों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क): कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों को कठिनाई के दौर में सहायता और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने हाल ही में ईएसआईसी कोविड-19 सहायता स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का 90% मृतक व्यक्ति के पात्र आश्रितों को भुगतान किया जाएगा। यह स्कीम 24.03.2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्रता की शर्तें हैं :-

i. बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु का पता चलने की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व ईएसआईसी के ऑनलाईन पोर्टल पर उसे पंजीकृत किया होना चाहिए।

ii. बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी का पता चलने की तिथि से और बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु की तिथि से तत्काल अधिकतम एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान इसे कम- से -कम 70 दिनों के लिए भुगतान अथवा देय अंशदान राशि का भुगतान होना चाहिए ।

जारी/2---

2. 09.07.2021 तक कुल 1225 दावे प्राप्त हुए हैं जिसमें से 307 स्वीकृत किए गए हैं।

3. इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में उल्लिखित लाभों में (i) कर्मचारी भविष्य निधि में संचित राशि का रख-रखाव, (ii) कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना शामिल हैं। अप्रैल, 2020 से जून, 2021 की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मृत सदस्यों के 50373 आश्रितों को 382.84 करोड़ रूपए की राशि की पेंशन प्रदान की गयी। इसके अलावा, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत मृत सदस्यों के 43632 आश्रितों को बीमा लाभ प्रदान किया गया जिसमें 1115.67 करोड़ रूपये शामिल हैं।

4. इस अवधि के दौरान मृत कामगारों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना में संशोधन किया गया था, जिसमें मृत कर्मचारियों के पात्र परिजनों को 2.5 लाख रूपये का न्यूनतम सुनिश्चित लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि को 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये किया गया था।

(ख): ईएसआईसी कोविड-19 सहायता स्कीम के अंतर्गत 09.07.2021 तक कुल 1225 दावे प्राप्त हुए हैं इनमें से 307 दावे मंजूर किए गए हैं। इन दावों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर संलग्न है।

* ******

अनुबंध

श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा आश्रितों हेतु राहत के उपाय के संबंध में दिनांक 19.07.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

ईएसआईसी कोविड-19 सहायता स्कीम के अंतर्गत प्राप्त दावों की राज्यवार संख्या

(09.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	दावों की संख्या
आंध्र प्रदेश	123
असम	7
बिहार	11
छत्तीसगढ़	26
दिल्ली	101
गोवा	2
गुजरात	109
हरियाणा	38
हिमाचल प्रदेश	24
जम्मू और कश्मीर	1
झारखंड	5
कर्नाटक	91
केरल	49
मध्य प्रदेश	75
महाराष्ट्र	167
उड़ीसा	26
पुदुचेरी	12
पंजाब	48
राजस्थान	62
तमिलनाडु	134
तेलंगाना	31
उत्तर प्रदेश	45
उत्तरांचल	17
पश्चिम बंगाल	21
कुल	**1225**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 949

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएस पेंशनरों की सामूहिक मांगे

949. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995 के ईपीएस पेंशनरों तथा उनके परिवारों की बेसिक पेंशन में वृद्धि करने तथा उन्हें महंगाई भत्ता तथा नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को 1995 के ईपीएस पेंशनरों की सामूहिक मांगों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ड.) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): विभिन्न मांगों को लेकर व्यक्तिगत और पेंशनभोगी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं:-

(i) न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि करना;
(ii) मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक से जोड़ना;
(iii) पेंशनभोगियों और उनके पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा या आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना;
(iv) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्चतर वेतन पर पेंशन का भुगतान;
(v) पेंशन के संराशीकृत मूल्य को पुनः शुरू करना।

सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सदस्य के वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता प्रदान करती है।

जारी..2/-

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत सांविधिक अंशदान और न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये प्रति माह के लिए ईपीएफओ को जारी की गई धनराशि का ब्योरा इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	1.16% अंशदान	न्यूनतम पेंशन के लिए अनुदान सहायता	कुल
2018-19	3900.00	1000.00	4900.00
2019-20	3696.67	1400.00	5096.97
2020-21	6027.61	1491.40	7519.01

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) का गठन किया था। समिति ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने की सिफारिश नहीं की क्योंकि बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस, 1995 को मूल्य सूचकांक, अर्थात महंगाई भत्ता राहत के साथ जोड़ना पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

सरकार का एक प्रायोगिक स्कीम के माध्यम से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत प्रति माह 1000/- रुपये तक का न्यूनतम पेंशन आहरित करने वाले और दिल्ली में रहने वाले ईपीएस, 1995 पेंशनभोगियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन संबंधी मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

संराशीकरण का विकल्प चुनने वाले ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने के लिए एचईएमसी की सिफारिश को 20.02.2020 से अधिसूचित किया गया है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1003
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

1003. श्रीमती जसकौर मीनाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भार भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में संस्वीकृत आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में पंजीकृत लोगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों और अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने देश में इस योजना का विस्तार किए जाने की योजना बनाई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विस्तार में तय किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहतः-

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

(ख) एवं (ग): 16.07.2021 को, राजस्थान में 6439 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.29 लाख लाभार्थियों को 57.29 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य में योजना के तहत पंजीकृत और लाभान्वित व्यक्तियों का जिला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (च): योजना के तहत निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। 16.07.2021 को, इस योजना के तहत 89070 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 24.89 लाख कर्मचारियों को 1143.40 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

अनुबंध

राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 के भाग (क) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रति.), कर्मचारियों एवं लाभ की राशि की सूची (16.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	प्रतिष्ठान	लाभार्थियों की संख्या	लाभ राशि (रुपए में)
1	अजमेर	236	4,171	20,832,955
2	अलवर	617	17,015	61,700,841
3	बांसवाड़ा	20	925	2,586,421
4	बारन	25	385	1,707,011
5	बाड़मेर	74	641	3,163,551
6	भरतपुर	98	1,413	9,606,786
7	भीलवाड़ा	362	8,836	38,986,415
8	बीकानेर	230	3,270	20,202,316
9	बूंदी	24	303	1,320,716
10	चितौड़गढ़	146	3,166	16,139,945
11	चुरू	32	414	1,818,249
12	दौसा	40	688	4,212,582
13	धौलपुर	25	424	1,929,878
14	डूंगरपुर	17	667	2,954,750
15	हनुमानगढ़	48	718	3,120,669
16	जयपुर	2,250	48,431	206,522,989
17	जैसलमेर	53	873	3,823,015
18	जालौर	24	208	1,517,430
19	झालावाड	48	1,774	4,925,756
20	झुंझुनूं	62	602	3,584,548
21	जोधपुर	596	8,585	50,012,787
22	करौली	10	116	835,806
23	कोटा	341	5,157	21,255,491
24	नागौर	106	1,474	7,315,018
25	पाली	208	3,378	19,117,344
26	प्रतापगढ़	12	132	593,012
27	राजसमंद	42	515	2,284,645
28	सवाई माधोपुर	16	319	1,468,796
29	सीकर	107	1,719	9,448,661
30	सिरोही	73	1,368	5,920,861
31	श्री गंगानगर	109	2,258	11,362,217
32	टोंक	59	700	3,975,025
33	उदयपुर	329	8,967	28,706,556
	कुल योग	6,439	**129,612**	**572,953,042**

भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1011
उत्तर देने की तारीख 26.07.2021

असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय योजनाएं

†1011. श्री अब्दुल खालेक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की जनजातीय आबादी के लिए शीर्ष पांच प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों में सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित की गई है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु निधि आवंटन का प्रतिशत कितना रहा है; और

(ग) असम में अब तक इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले जनजातीय लोगों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) : बजट आवंटन, 2021-22 के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही पांच प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) : पिछले पांच वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सभी योजनाओं के लिए आवंटित कुल धनराशि (बजट अनुमान) 30260.97 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत 161017.23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पूर्व योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए धन आवंटित करता रहा है। प्रदान की गई धनराशि आमतौर पर कुल बजट आवंटन के 10 प्रतिशत से अधिक होती है।

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं के तहत टीएसपी निधियों को असम राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए खर्च किया जाता है।

"असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय योजनाएं" के संबंध में श्री अब्दुल खालेक द्वारा दिनांक 26.07.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1011 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पाँच प्रमुख योजनाओं / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह रु.230 से रु. 1200 तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

(ii) एकलव्य आदर्श मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापरक, माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य के साथ विशेष रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना शुरू की गई थी, ताकि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने और सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने में सक्षम बनाया जा सके। ईएमआरएस के महत्व को समझते हुए, 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि "सरकार जनजातीय बच्चों को उनके वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और इनमें खेल-कूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।"

यह संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान का एक घटक था। 2018-19 के दौरान, एक अलग योजना शुरू की गई थी। उक्त बजट घोषणा के संदर्भ में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17.12.18 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ ईएमआरएस योजना में सुधार को मंजूरी दी।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्र में अवसंरचना गतिविधियों में अंतर को भरने के लिए अजजा (एसटी) जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती है।

(iv) जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरभरण उपाय के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी), लघु अवसंरचना आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख से अधिक नही होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए प्रति माह रु. 225/- और छात्रावासी के लिए प्रति माह रु. 525/- की छात्रवृत्ति एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जिसके लिए वित्त-पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केन्द्रीय शेयर है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1012

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

नौकरी की सुरक्षा के मामले में श्रमिकों की सुरक्षा

1012 कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मज़दूर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी, काम करने की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संदर्भ में श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने दिनांक 31.07.2015 से सन्निर्माण स्थल कामगारों को शामिल किया था। हालांकि, बिल्डर्स संघ के निवेदन पर, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन्निर्माण स्थल कामगारों को शामिल करने पर रोक लगाई। यह रोक अभी भी जारी है तथा मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ): केन्द्रीय सरकार ने चार श्रम संहिताएं; नामतः मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है। इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगार इत्यादि सहित कामगारों को न्यूनतम तथा समय पर मज़दूरी, कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सुरक्षित कार्य दशाएं प्रदान करना है ताकि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े तथा प्रतिष्ठानों में कल्याणकारी सुविधाएं, कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढाई जा सके।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1053

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएस योगदान

1053 श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2014-15 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के ई. पी. एस. योगदान की राशि जमा नहीं की है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं तथा आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में लंबित बकाया राशि कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत सांविधिक अंशदान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को वर्ष 2014-15 से जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी धनराशि (करोड़ में रुपये)**
2014-15	2,299.80
2015-16	3,030.20
2016-17	3,525.00
2017-18	4,040.18
2018-19	3,900.00
2019-20	3696.67
2020-21	6027.61

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संचयी बकाया 10,589.20 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

(ग): प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के बजट प्राक्कलन में, भारत सरकार के ईपीएस, 1995 के तहत सांविधिक अंशदान के लिए 6364 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/ 4 श्रावण, 1943(शक)

आश्रितों हेतु सामाजिक सुरक्षा राहत उपाय

1055. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
कुमारी गोड्डेति माधवी:
श्री एन. रेड्डप्प:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री कुरूवा गोरांतला माधव:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोविड-19 के कारण मृत कार्मिकों के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा राहत उपाय प्रदान करने के लिए अपनी योजनाओं में संशोधन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं के इन संशोधनों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या ईपीएफओ ने अब अपने सदस्यों को कोविड-19 के दौरान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी गैर-प्रतिदाय अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति दी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों को कठिनाई के दौर में सहायता और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 03.06.2021 को ईएसआईसी कोविड-19 राहत स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का 90% मृतक व्यक्ति के पात्र आश्रितों को भुगतान किया जाएगा। यह स्कीम 24.03.2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है। इस स्कीम के अंतर्गत राहत के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलखित हैं:-

i. बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु का पता चलने की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व ईएसआईसी के ऑनलाईन पोर्टल पर उसे पंजीकृत किया होना चाहिए।

ii. बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी का पता चलने की तिथि को नियोजन में होना चाहिए और बीमित व्यक्ति की कोविड-19 बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु की तिथि से तत्काल अधिकतम एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान इसे कम-से-कम 70 दिनों के लिए भुगतान अथवा देय अंशदान राशि का भुगतान होना चाहिए।

iii. 120/- रूपए प्रतिवर्ष जमा करने पर मृत बीमित व्यक्ति/बीमित महिला (आईपी/आईडब्ल्यू) की पत्नी/ पति चिकित्सा देख-रेख के लिए भी पात्र होंगे।

2. दिनांक 09.07.2021 तक कुल 1225 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 307 स्वीकृत किए गए हैं।

3. इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में उल्लिखित लाभों में (i) कर्मचारी भविष्य निधि में संचित राशि का रख-रखाव, (ii) कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना शामिल हैं। इस अवधि के दौरान मृत कामगारों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना में संशोधन किया गया था, जिसमें मृत कर्मचारियों के पात्र परिजनों को 2.5 लाख रूपये का न्यूनतम सुनिश्चित लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि को 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये किया गया था। दिनांक 28.06.2021 की स्थिति के अनुसार, ईडीएलआई योजना में संशोधन के माध्यम से 201 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और 5.57 करोड़ रूपये के वर्धित लाभों का भुगतान किया गया है।

(ग) और (घ): महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को अप्रतिदेय अग्रिम अनुमत करने के लिए एक उपबंध को अंत:स्थापित करते हुए मार्च, 2020 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952 में संशोधन किया गया था। यह उपबंध ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते से शेष जमा राशि का 75 प्रतिशत तक अथवा तीन माह का वेतन, जो भी कम हो, अग्रिम के रूप में प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऐसे ईपीएफ सदस्य जिन्होंने प्रथम कोविड-19 अग्रिम का लाभ पहले ही उठा लिया है वे अब द्वितीय अग्रिम का विकल्प भी दे सकते हैं। दिनांक 15.07.2021 की स्थिति के अनुसार, द्वितीय कोविड-19 अग्रिम सुविधा के अंतर्गत निपटाए गए दावों की संख्या 4,62,816 है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1129
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि

1129. श्री पी. वेलुसामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास नए कर्मचारियों के साथ-साथ लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों की दोनों श्रेणियों (नए और अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों) को दिए जाने वाले वेतन मानदंड की उच्चतम सीमा और अंशदान की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार एक हजार से अधिक कामगारों को नियोजित करने वालों के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के अंशदान को वहन करेगी;

(ड.) क्या इस योजना का विस्तार स्थापनाओं द्वारा नियोजित 1000 से कम श्रमिकों तक किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहतः-

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

(घ): 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा लाभ के रूप में केवल कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान अर्थात् वेतन का 12% प्रदान किया जाता है।

(ङ) एवं (च): इस योजना में पहले से ही 1000 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। योजना के तहत 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में पात्र नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ता-दोनों के अंशदान अर्थात् वेतन के 24 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1141

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

प्रवासी और संगठित श्रमिकों/ कामगारों का डेटाबेस

1141. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
डॉ. अमर सिंहः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री टी. एन. प्रथापनः
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः
श्री एस. आर. पार्थिबनः
श्री एम. सेल्वराजः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने प्रवासी और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो जून 2021 की प्रारंभिक समय-सीमा तक डेटाबेस के पूरा नहीं होने/ करने के क्या कारण है और इस डेटाबेस को लागू करने की संशोधित अनुमानित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या यह डेटाबेस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस वर्ष जुलाई तक इस कार्य को पूरा कर ले और साथ ही उक्त तिथि तक एक राष्ट्र एक कार्ड योजना को भी लागू करे ताकि ऐसे कामगारों को देश में कहीं से भी राशन ले सकें;

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना हैं; और

(च) क्या सरकार को नियोजकों और कर्मचारियों से आधार से जोडने के कारण ईपीएफओ से ऑनलाइन लेन-देन नहीं कर पाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगारों, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों, फेरीवालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों, प्रवासी कामगारों तथा ऐसे ही असंगठित कामगारों के अन्य उप समूहों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए आधार से जुडे असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यु) हेतु विस्तृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु एक पंजीकरण मोड्यूल को विकसित करने की प्रकिया में है। वर्तमान में, पूर्वाभ्यास और सुरक्षा लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया कार्यान्वयनाधीन है। राज्य सरकारों द्वारा असंगठित कामगारों को संघटित करके पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराना अपेक्षित है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं पंजीकरण के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य सेवा केन्द्र अपने 4 लाख से अधिक केन्द्रों और डाक विभाग के चयनित डाक कार्यालयों के राष्ट्र-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण केन्द्रों के रूप में कार्य करेगा जहां कामगार जाकर अपना पंजीकरण नि:शुल्क करा सकते हैं।

केंद्र सरकार असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को छोडकर देशभर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहले ही कार्यान्वित कर चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को 31 जुलाई, 2021 तक इसे कार्यान्वित करने के लिए निदेश दिया गया है।

(च): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 01.06.2021 से सभी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों के लिए इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) को भरने हेतु आधार के साथ जोडने को अनिवार्य बना दिया गया है तथा ईपीएफ खाताधारकों के सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को आधार प्रमाणित बनाने हेतु सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था। हालांकि, समय अवधि के विस्तार हेतु विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। महामारी स्थिति और कोविड-19 के कारण नामांकन केंद्रों के बंद हो जाने को देखते हुए, सरकार ने आधार- प्रमाणित यूएएन के साथ अनिवार्य रूप से ईसीआर भरे जाने को दिनांक सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2079

उत्तर देने की तारीख 02.08.2021

विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव

2079. श्रीमती जसकौर मीना:

श्री बालक नाथ:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों के विभागाध्यक्षों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी जांच की स्थिति क्या है;

(ख) पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मामलो की जांच में दोषी पाए गए विभागाध्यक्षों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन संस्थाओं और विभागों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय और मुक्त विद्यालयी शिक्षा सहित विभिन्न संस्थाओं में सरकारी आदेशों की जांच, नियमों की उपेक्षा तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(च) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित सरकारी नीतियों और दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली संस्थाओं के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों सहित अजजा के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है। हालांकि, एनसीआरबी डाटा में विभिन्न संस्थानों के विभागाध्यक्षों के खिलाफ दर्ज ऐसे मामलों के बारे में विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं।

(ख) से (घ) : संसद का एक अधिनियम अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989 को जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न सहित अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से, जनवरी 2016 में पीओए अधिनियम संशोधित किया गया। यह अधिनियम पीड़ितों को राहत/मुआवजा भी प्रदान करता है और देश में आईपीसी के सहयोजन से कानून कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी निर्धारित करता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए सभी राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पीओए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जाति आधारित उत्पीड़न और भेदभाव से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ङ) मंत्रालय द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989 के प्रावधान को, 2016 में संशोधित किया गया, सांविधिक प्रकृति के हैं और देश में सभी पर लागू हैं। यह अधिनियम राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा लागू किया जा रहा है। कोई भी मामला को जो सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर मंत्रालय के संज्ञान में आता है और प्रत्यक्ष (फिजिकल) अभ्यावेदन या अन्यथा को नियमों और विनियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

अनुलग्नक

2015-16 के दौरान "विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के भेदभाव" के संबंध में 02.08.2021 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले (सीआर), चार्जशीट मामले (सीसीएस), मामले में दोषी (सीओएन), पीड़ित (वीआईसी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अपराध के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति।

क्र.सं	अपराध प्रमुख	2015							2016						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	टीवीआईसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	टीवीआईसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1क	एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	5443	3815	573	5653	7327	7039	858	5720	4645	560	5959	8381	8121	847
1क.1	हत्या	144	128	20	149	264	280	42	139	125	30	145	337	328	44
1क.2	हत्या करने का प्रयास	88	69	5	98	269	240	9	93	82	6	108	261	271	12
1क.3	साधारण चोट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1क.4	गंभीर चोट	145	140	42	154	286	283	66	144	139	32	161	307	293	60
1क.5	शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	818	711	91	821	998	916	97	835	779	76	840	1036	1037	80
1क.6	नारी की मर्यादा का अपमान	12	13	0	12	16	18	0	31	24	10	31	37	28	15
1क.7	अपहरण और अगवा	124	112	11	126	174	172	15	163	128	7	166	169	155	10
1क.8	बलात्कार	952	854	126	959	1321	1265	155	974	917	101	975	1339	1295	129
1क.9	रेप करने की कोशिश	15	11	1	15	19	16	1	13	13	0	13	16	14	0
1क.10	दंगों	133	92	4	174	707	670	24	143	102	3	236	726	701	19
1क.11	चोरी	9	4	1	9	8	8	3	10	8	0	10	21	17	0
1क.12	डकैती	4	1	0	4	20	10	0	6	9	0	10	16	26	0
1क.13	आगजनी	25	15	2	28	25	27	7	13	13	1	15	38	37	4
1क.14	आपराधिक धमकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	2974	1665	270	3104	3220	3134	439	3156	2306	294	3249	4078	3919	474
1ख	केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	832	592	110	927	1235	1305	156	844	627	42	905	1326	1131	66
1ख.1	जानबूझकर अपमान करना या अपमानित करने के इरादे से धमकाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ख.2	भूमि पर कब्जा/निपटान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1ख.3	सार्वजनिक स्थान/मार्ग के उपयोग को रोकें या अस्वीकार करें या बाधित करें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ख.4	निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य/सामाजिक बहिष्कार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ख.5	अन्य अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	6275	4407	683	6580	8562	8344	1014	6564	5272	602	6864	9707	9252	913
2	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	1	0	0	1	0	0	0	4	5	0	8	39	12	0
	अजजा के खिलाफ अपराध/अत्याचार	**6276**	**4407**	**683**	**6581**	**8562**	**8344**	**1014**	**6568**	**5277**	**602**	**6872**	**9746**	**9264**	**913**

स्रोत: भारत में अपराध नोट: '-' उपलब्ध नहीं है

अनुलग्नक

2017-18 के दौरान "विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के भेदभाव" के संबंध में 02.08.2021 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले (सीआर), चार्जशीट मामले (सीसीएस), मामले में दोषी (सीओएन), पीड़ित (वीआईसी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अपराध के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति।

क्र.सं.	अपराध प्रमुख	2017							2018						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	टीवीआईसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	टीवीआईसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1क	एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	6405	5329	711	6788	9639	9040	956	6178	5366	499	6488	9292	9778	747
1क.1	हत्या	124	113	31	133	305	284	48	168	139	26	177	394	315	72
1क.2	हत्या करने का प्रयास	132	112	13	146	326	285	19	131	116	9	158	439	379	15
1क.3	साधारण चोट	1503	1204	166	1598	2067	2167	223	1429	1276	85	1485	2043	2344	136
1क.4	गंभीर चोट	204	184	30	217	363	288	36	104	111	17	122	281	278	32
1क.5	शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	925	830	134	981	1108	1028	152	857	807	83	871	1055	1103	84
1क.6	नारी की मर्यादा का अपमान	21	11	0	21	13	12	0	18	15	1	18	28	32	1
1क.7	अपहरण और अगवा	201	167	10	206	271	234	12	116	93	5	116	177	164	5
1क.8	बलात्कार	1041	1027	139	1071	1407	1299	171	1008	947	120	1013	1324	1256	155
1क.9	रेप करने की कोशिश	22	15	3	22	20	20	3	17	13	2	17	18	15	2
1क.10	दंगों	118	100	2	155	890	751	14	189	172	0	278	836	838	0
1क.11	चोरी	11	12	0	11	30	29	0	6	4	1	7	21	11	2
1क.12	डकैती	7	6	0	14	57	58	0	14	4	1	14	55	31	5
1क.13	आगजनी	11	8	2	11	20	17	8	11	10	1	11	20	19	3
1क.14	आपराधिक धमकी	446	318	6	447	621	517	10	484	382	5	488	334	582	8
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	1639	1222	175	1755	2141	2051	260	1626	1277	143	1713	2267	2411	227
1B	केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	720	489	33	856	1022	995	59	347	218	4	358	398	447	14

1B.1	जानबूझकर अपमान करना या अपमानित करने के इरादे से धमकाना	373	272	7	434	624	621	13	117	81	1	120	160	207	7
1B.2	भूमि पर कब्जा/निपटान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है	27	17	3	29	29	32	7	18	4	0	18	0	21	0
1B.3	सार्वजनिक स्थान/मार्ग के उपयोग को रोकें या अस्वीकार करें या बाधित करें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1B.4	निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य/सामाजिक बहिष्कार	18	1	0	18	3	3	0	19	0	0	19	0	0	0
1B.5	अन्य अपराध	302	199	23	375	366	339	39	193	133	3	201	238	219	7
1	कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	7125	5818	744	7644	10661	10035	1015	6525	5584	503	6846	9690	10225	761
2	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	3	35	0	3	36	36	0
	एसटी के खिलाफ अपराध/अत्याचार	**7125**	**5818**	**744**	**7644**	**10661**	**10035**	**1015**	**6528**	**5619**	**503**	**6849**	**9726**	**10261**	**761**

स्रोत: भारत में अपराध

अनुलग्नक

2019 के दौरान "विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के भेदभाव" के संबंध में 02.08.2021 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामले (सीआर), चार्जशीट मामले (सीसीएस), मामले में दोषी (सीओएन), पीड़ित (वीआईसी), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अपराध के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति।

क्र.सं.	अपराध प्रमुख	2019						
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	टीवीआईसी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1क	एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	7815	6181	734	8422	10650	11830	1136
1क.1	हत्या	182	167	34	226	497	471	65
1क.2	हत्या करने का प्रयास	137	126	10	158	355	309	23
1क.3	साधारण चोट	1675	1315	202	1748	2106	2593	352
1क.4	गंभीर चोट	112	100	21	127	214	219	38
1क.5	शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	880	717	98	913	1114	1124	115
1क.6	नारी की मर्यादा का अपमान	24	14	0	24	28	16	0
1क.7	अपहरण और अगवा	153	107	14	164	226	208	19
1क.8	बलात्कार	1110	1035	127	1133	1424	1341	164
1क.9	रेप करने की कोशिश	21	13	0	21	18	13	0
1क.10	दंगों	168	140	3	290	863	721	7
1क.11	चोरी	11	7	0	11	28	21	0
1क.12	डकैती	6	8	0	6	52	47	0
1क.13	आगजनी	27	16	1	30	55	59	2
1क.14	आपराधिक धमकी	565	543	6	590	490	1007	6
1क.15	अन्य आईपीसी अपराध	2744	1873	218	2981	3180	3681	345
1B	केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	439	320	8	472	440	511	13
1B.1	जानबूझकर अपमान करना या अपमानित करने के इरादे से धमकाना	129	75	3	136	122	151	8

1B.2	भूमि पर कब्जा/निपटान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है	26	32	0	26	35	41	0
1B.3	सार्वजनिक स्थान/मार्ग के उपयोग को रोकें या अस्वीकार करें या बाधित करें	1	0	0	2	0	0	0
1B.4	निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य/सामाजिक बहिष्कार	34	37	0	34	26	37	0
1B.5	अन्य अपराध	249	176	5	274	257	282	5
1	कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	8254	6501	742	8894	11090	12341	1149
2	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	3	1	0	3	1	1	0
	एसटी के खिलाफ अपराध/अत्याचार	**8257**	**6502**	**742**	**8897**	**11091**	**12342**	**1149**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: 2019 के लिए कोलकाता से समय पर डेटा प्राप्त न होने के कारण, 2018 के लिए प्रस्तुत डेटा का उपयोग किया गया है

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2101

सोमवार, 2 अगस्त, 2021 / 11 श्रावण, 1943 (शक)

कोशियारी समिति की सिफारिशें

2101. श्री रवि किशन:
श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री प्रतावराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या कोशियारी समिति ने ईपीएस-95 के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोत्तरी की सिफरिश की थी;

(**ख**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई;

(**ग**) क्या जैसाकि केन्द्र सरकार के पेंशनरों को मूल्य सूचकांक स्थिर करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, इसी तर्ज पर ईपीएस-95 के पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है;

(**घ**) यदि हां, तो क्या सरकार को विचार आर्थिक रूप से वंचित ईपीएस-95 के पेंशनरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का है; और

(**ङ**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कोशियारी समिति ने वर्ष 2013 में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने के साथ ही

जारी/2----

सरकार के अंशदान को मजदूरी के 1.16% से बढ़ाकर कम-से-कम 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो ईपीएस के अंतर्गत वार्षिक रूप से प्रदान की गई मजदूरी के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2021-22 के लिए, न्यूनतम पेंशन के लिए तथा सरकार के अंशदान के रूप में मजदूरी का 1.16% के लिए 7364 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ग): ईपीएस, 1995 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि एक स्व-वित्त-पोषित निधि है। ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) गठित की गई थी तथा समिति ने बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि पर गंभीर वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मासिक पेंशन को रहन-सहन की लागत के सूचकांक के साथ जोड़े जाने की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) और (ङ): आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) एक पात्रता आधारित योजना है तथा लाभार्थी परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट वंचन मानदण्ड और शहरी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक मानदण्ड का अनुप्रयोग करते हुए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना डेटाबेस से लिए जाते हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2123

सोमवार, 02 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

असम में ईएसआईसी और ईपीएफओ में बीमित व्यक्ति

2123. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में बीमित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) कोविड-19 बीमारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले बीमित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए कोई प्रमुख सामाजिक सुरक्षा राहत देने की घोषणा की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) असम में अब तक इस राहत के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार असम में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों की कुल संख्या 281292 है।

जून, 2021 तक असम में कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना - 1976 (ईडीएलआई स्कीम) के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की संख्या 655806 है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों (आई.पी.) के परिवारों को आर्थिक सहायता और राहत प्रदान करने के लिए 03.06.2021 को "ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना" आरम्भ की है। इस योजना के तहत कोविड- 19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्ति के पात्र आश्रितों को औसत वेतन की 90% राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 24.03.2020 से दो वर्षों के लिए लागू है। इस योजना के तहत राहत हेतु पात्रता की शर्तें निम्नवत हैं:-

जारी/-2

i. बीमित व्यक्ति, जिसकी कोविड-19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, को कोविड-19 बीमारी की पुष्टि होने की तारीख से कम के कम तीन महीने पहले ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

ii. बीमित व्यक्ति का कोविड-19 बीमारी की पुष्टि होने की तारीख को रोजगार में होना अनिवार्य है और कोविड-19 की पुष्टि होने से ठीक पहले, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके द्वारा कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया हो या किया जाना हो।

iii. मृतक आईपी/ओडब्ल्यू की पत्नी या पति भी हर वर्ष 120 रूपये जमा करने पर चिकित्सा देख-रेख का पात्र होगी/होगा।

16.07.2021 तक कुल 1595 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 453 दावे संस्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में हितलाभों, नामत: (i) कर्मचारी भविष्य निधि संचय राशि का रख-रखाव (ii) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और (iii) कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) की परिकल्पना की गई है। इस अवधि के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रूपये का न्यूनतम सुनिश्चित लाभ देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईडीएलआई योजना, 1976 के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये की गई है।

अप्रैल, 2020 से जून, 2021 के दौरान कोविड-19 के कारण अथवा अन्यथा रूप से मृतक सदस्यों के 50373 आश्रितों को 382.84 करोड़ रूपये की राशि की पेंशन प्रदान की गई। इसके अलावा, कोविड-19 के कारण अथवा अन्यथा रूप से मृतक सदस्यों के 43632 आश्रितों को ईडीएलआई के अंतर्गत 1115.67 करोड़ रूपये की राशि का बीमा लाभ दिया था।

(ड.): ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के अंतर्गत असम में 16.07.2021 तक बीमित व्यक्तियों के आश्रितों से 7 दावे प्राप्त हुए हैं।

असम में ईडीएलआई और ईपीएस के अंतर्गत अप्रैल, 2020 से अब तक की अवधि में शामिल लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 355 और 1061 है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2136
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

2136. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री राहुल रमेश शेवालेः
डॉ. प्रीतम कोपीनाथ राव मुंडेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय-सीमा को मौजूदा 30 जून, 2021 से अगले वर्ष मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) योजना के तहत लाभ के लिए अनुमानित नए भर्ती किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है और योजना के तहत अब तक लाभान्वित हुए नए भर्ती किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या 15000 रूपये से कम मासिक वेतन प्राप्त कर रहे और 1 अक्तूबर, 2020 से पहले ईपीएफओ के किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान के साथ काम नहीं कर रहे कर्मचारी और 1 अक्तूबर, 2020 से पहले बिना कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ई.पी.एफ. सदस्य खाता संख्या वाले कर्मचारी लाभ के पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा; और

(ङ) वैश्विक महामारी के दौरान रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नौकरी छूटने और वेतन कटौती से जूझ रहे श्रमिकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 किया गया है।

(ख): एबीआरवाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा इसके माध्यम से अनुमानतः 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ देने का इरादा है। इस योजना के तहत 26.07.2021 को 91,129 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.57 लाख कर्मचारियों को 1193.18 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) एवं (घ): 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, एबीआरवाई के तहत लाभ हेतु पात्र होगा। सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

(ङ): भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। "आत्म निर्भर भारत" के तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, एमएसएमई को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज आरंभ किया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 के वेतन माह हेतु मजदूरी का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री रेहड़ी पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम-स्व-निधि) योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2191

सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएफओ की ब्याज दर

2191. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफओ) के ग्राहकों के लिए वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज दर 8.65 प्रतिशत निर्धारित की गई है;

(ख) ईपीएफओ के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से अंशदान करने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है;

(ग) ईपीएफओ द्वारा अर्जित कुल आय कितनी है और ब्याज के रूप में वितरित की जाने वाली राशि कितनी है;

(घ) क्या मंत्रालय ने ब्याज दर निर्धारणि के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में खातों की संख्या 19,33,91,860 थी और अंशदान करने वाले ग्राहकों की औसत संख्या 4,12,37,377 थी।

(ग) वर्ष 2016-17 के दौरान, ब्याज के रूप में संवितरण हेतु कुल उपलब्ध आय 39,493.84 करोड़ रुपए थी तथा संचित ईपीएफ पर ब्याज के रूप में वितरित की गई धनराशि 39,197.93 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श कर ईपीएफ पर ब्याज दर निर्धारित करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भी प्रति-वर्ष संचित ईपीएफ पर ब्याज दर निर्धारित करने से पहले वित्त मंत्रालय से परामर्श करता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2195

सोमवार, 2 अगस्त, 2021 / 11 श्रावण, 1943 (शक)

असंगिठत क्षेत्र में बेरोजगारी और नौकरी छूटना

2195. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण असंगिठत क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी छूटने के मुद्दों के समाधान के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस इस संबंध में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के बागान क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास कोविड-19 महामारी के दौरान बागान मजदूरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/अन्य किसी सहायता का ब्यौरा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): भारत सरकार ने, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असंगठित कामगारों की समस्याओं को दूर करने के अनेक कदम उठाए हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-क** पर सूचीबद्ध है।

(ग) से (ड.): इसके अतिरिक्त, सरकार ने बागान क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-ख** पर दिया गया है।

** *****

अनुबंध क

असंगिठत क्षेत्र में बेरोजगारी और नौकरी छूटने के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2195 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न असंगठित कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदम:-

(i) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को 01 अक्टूबर, 2020 से शुरू किया गया है ताकि नए रोजगार के सृजन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के लाभों और रोजगार की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) पीएम-स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये तक के ऋण की संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि उन्हें कोविड के बाद की अवधि के दौरान अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके।

(iii) राज्य के भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों ने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान 1.83 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों को लगभग 5618 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं और दूसरी लहर के दौरान 1.23 करोड़ बीओसीडब्ल्यू कामगारों को लगभग 1795 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

(iv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 01.04.2020 से प्रति दिन मिलने वाली मजदूरी को 182.00 रूपये से बढ़ाकर 202.00 रुपये किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कुल 120.49 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए हैं।

(v) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत सरकार ने विशेष रूप से लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहलें की हैं। पीएमजीकेआरए में 6 राज्यों के 116 जिलों को 125 दिनों के मिशन मोड अभियान में कवर किया गया है।

(vi) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन निःशुल्क प्रदान किया गया। इस योजना को अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

(vii) 6.85 करोड़ परिवारों का सहयोग करने वाले 63 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से आयोजित महिलाओं के लिए संपार्श्विक उदार ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गई थी।

(viii) स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ,(viii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक उदार ऋण सूक्ष्म/ लघु व्यवसाय उद्यमों की स्थापना करने और व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया गया है। सरकार विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिनमें काफी अधिक निवेश और लोक व्यय वाली योजनाएं क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय,आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शामिल हैं।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बाजार की गतिविधियों का विस्तार करने और रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

<u>अनुबंध ख</u>

असंगिठत क्षेत्र में बेरोजगारी और नौकरी छूटने के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2195 के भाग (ग) से (ड.) में संदर्भित अनुबंध

बागान क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपाय:-

(i) चाय बोर्ड ने "चाय विकास और संवर्धन योजना" के तहत एचआरडी घटकों के माध्यम से चाय बागानों के 28898 श्रमिकों को 19.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी, इसे एमटीएफ अवधि 2017-2020 के दौरान लागू किया गया था, जिसे 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया था। चाय बागान के श्रमिकों की व्यथा को ध्यान में रखते हुए, चाय बोर्ड ने अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) स्कीम सहित अपनी एचआरडी योजना के तहत कुछ राशि विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों को वितरित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

शैक्षणिक छात्रवृत्ति, नेहरू पुरस्कार, किताबें और स्कूल वर्दी, भारत स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान बागान श्रमिकों को प्रदान की गई एचआरडी घटक (एससी और एसटी उत्पादकों सहित) के तहत वित्तीय सहायता और अन्य सहायता

वर्ष	2019-20 (मार्च, 2020 के लिए)		2020-21		2021-22 (30-06-21 तक)		कुल	
राज्य	उपयोग की गई निधि (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या
असम	26.78	94	32.59	426	3.12	36	62.49	556
त्रिपुरा	0.93	16	0	0	0	0	0.93	16
पश्चिम बंगाल	127.42	1352	91.10	732	75.33	575	293.85	2659
तमिलनाडु	84.19	439	29.27	181	13.53	82	126.99	702
केरल	63.17	323	41.72	218	4.51	25	109.4	566

कर्नाटक	0	0	0.2	1	0	0	0.2	1
हिमाचल प्रदेश	0.89	10	0.548	3	1.457	13	2.895	26
कुल	303.38	2234	195.428	1561	97.947	731	596.755	4526

(ii) 50 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान इलायची उत्पादन करने वाले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग क्षेत्र) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए मसाला बोर्ड की योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना में इलायची बागान के श्रमिकों के बच्चों (छात्रों) को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने में सहायता दी जा सके। साथ ही, छोटी और बड़ी इलायची के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए योजना के तहत सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए बागान श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क और छात्रावास शुल्क प्रदान किया जाता है जो अधिकतम 25000/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जारी रखने के शर्ताधीन है।

(iii) रबड़ बागान क्षेत्र के मजदूरों और उनके बच्चों के लिए रबड़ बोर्ड विभिन्न श्रम कल्याण योजनाएं लागू करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान असंगठित रबर बागान क्षेत्र में श्रमिकों को श्रम कल्याण उपायों के लिए 2.98 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

(iv) खाद्य सुरक्षा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का लाभ कॉफी बागान में काम करने वाले मजदूरों तक विस्तारित किया गया था। इसमें ईपीएफ लाभ की एक मुख्य विशेषता भी थी जिसमें 100 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों और 15,000/- रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले 90% कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों की पीएफ अंशदान राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। पीएमजेकेवाई के अंतर्गत जून से अगस्त, 2020 तक तीन महीने के लिए यह लाभ प्रदान किया गया था।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2286

सोमवार, 02 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

ई.पी.एफ.ओ. का शेयर बाजार में निवेश

2286. श्री के. षणमुग सुंदरम

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.), राज्य द्वारा संचालित संगठन ने इसके गठन के 64 साल बाद पेंशनभोगियों को स्थिर रिटर्न देने के उद्देश्य से शेयर बाजारों में 5 प्रतिशत कॉर्पस फंड को निवेश करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईपीएफओ में वृद्धिशील जमा राशि कितनी है;

(ग) शेयर बाजार में निवेश के लिए निर्धारित सही राशि और बाजार में धन की तैनाती की विधि क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अस्थिर शेयर बाजार के कारण जहां निवेश की वापसी की कोई गारंटी नहीं है पेंशन भोगियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है; और

(ङ) क्या ईपीएफओ को इस नीति के विरुद्ध अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा अनुमोदित ईपीएफओ के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने निवेश का 15 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश कर सकता है। तथापि, ईपीएफओ केवल एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है न कि ईटीएफ-निर्माताओं (एसबीआई-म्यूचुअल फंड तथा यूटीआई- म्यूचुअल फंड) के माध्यम से विशेष शेयर/स्टॉक में। इक्विटी में निवेश के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कामगारों को शामिल करने हेतु कुछ ट्रेड यूनियनों से एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। वित्तीय निवेश और लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी) तथा ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, जो इक्विटि तथा अन्य साधनों में निवेश करने के लिए अधिदेशित हैं, में कामगारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईपीएफओ में अंशदान से जमा राशि तथा इक्विटी में निवेश निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**अंशदान से जमा राशि**	**इक्विटी निवेश**
2018-19	1,87,214	27743
2019-20 (अनंतिम)	2,19,325	32377
2020-21 (अनंतिम)	2,18,345	31025
2021- 22 (30.06.2021 तक)	57,846	7715

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3331

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

सहारा समूह से ईपीएफ

3331. श्री बंदी संजय कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सहारा समूह को ईपीएफ से छूट मिलने के कारण कई कर्मचारियों को अपने पीएफ लाभ से वंचित होना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में सहारा समूह को इस प्रकार की छूट दी गई थी ऐसी छूट प्रदान करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(ग) इस तरह की छूट देने से पहले सहारा समूह द्वारा अपने कर्मचारियो से पीएफ के लिए कितनी राशि एकत्र की गई थी और खातों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सहारा समूह के बंद होने के बाद से पीएफ बकाया की वसूली के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम) और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान को छूट अधिनियम के उपबंधों और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है। मेसर्स सहारा इंडिया और चार अन्य कंपनियां अर्थात मेसर्स सहारा इंडिया फाइनेंसियल कार्पोरेशन लिमिटेड., मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स सहारा एयरलाइन्स लिमिटेड और मेसर्स सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन को प्रतिष्ठानों और इसकी भाग लेने वाली इकाइयों द्वारा ट्रस्ट को अंशदान के अंतरण सहित विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रवर्तन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.06.2006 के आदेशों के माध्यम से छूट प्रदान की गई थी। ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा छूट प्रदान करने के समय किसी भी भविष्य निधि (पीएफ) लाभ के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली थी। ट्रस्ट में तत्कालीन पीएफ सदस्यों के लिए 185.32 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष मूल्य (फेस वैल्यू) की कॉर्पस निधि रिपोर्ट की गई थी। छूट रद्द करने के बाद, ईपीएफओ द्वारा ट्रस्ट से इन चार प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के विवरण के साथ 278.56 करोड़ रुपये की पीएफ की पिछली जमा राशि प्राप्त की गई थी। हालांकि, मैसर्स सहारा एयरलाइंस लिमिटेड को अप्रैल, 2007 में मेसर्स जेट एयरवेज लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया था।

(घ): मेसर्स सहारा इंडिया, मेसर्स सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मेसर्स सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन को छूट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण मार्च, 2018 के महीने के दौरान प्रतिष्ठान को दी गई छूट रद्द कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ द्वारा 33,97,30,000/- रुपये की राशि जुटाई गई है और मामला अब न्यायाधीन है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3336
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

3336. श्री नलीन कुमार कटीलः
श्रीमती सुमलता अम्बरीशः
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ए.बी.आर.वाई.) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ए.बी.आर.वाई. योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले नियोक्ताओं की राज्य और क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त नियोक्ताओं द्वारा अब तक सृजित रोजगार की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

(ख) और (ग): इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त, 2021 की स्थिति के अनुसार, 91,980 प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा 25.71 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया गया है। 01.08.2021 तक लाभार्थियों तथा जमा किए गए लाभ की राशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): योजना की संपूर्ण अवधि के लिए एबीआरवाई योजना का कुल परिव्यय 22098 करोड़ रुपए है एवं 01.08.2021 को लाभार्थियों के खातों पर 1203.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3336 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

01.08.2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रतिष्ठानों), कर्मचारियों, लाभ की राशि की राज्यवार सूची

राज्य का नाम	प्रतिष्ठान	लाभार्थियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपए में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	31	293	19,74,355
आंध्र प्रदेश	2,414	70,922	35,52,48,297
अरुणाचल प्रदेश	4	21	1,09,592
असम	324	5,686	2,77,52,803
बिहार	643	11,344	6,61,72,892
चंडीगढ़	1,039	29,708	14,20,39,776
छत्तीसगढ़	1,718	36,255	18,62,69,310
दिल्ली	1,908	90,280	40,34,01,224
गोवा	366	9,829	4,91,74,044
गुजरात	10,032	2,96,191	1,29,95,16,980
हरियाणा	4,863	1,66,049	79,57,86,938
हिमाचल प्रदेश	1,407	38,771	18,20,13,819
जम्मू और कश्मीर	519	8,602	4,47,59,205
झारखंड	1,259	27,330	14,84,61,941
कर्नाटक	6,138	1,98,342	1,02,57,81,106
केरल	1,625	40,396	20,99,24,454
लद्दाख	5	32	1,58,107
मध्य प्रदेश	3,726	87,957	47,99,76,955
महाराष्ट्र	13,469	4,22,193	1,93,00,64,821
मणिपुरी	31	482	25,88,214
मेघालय	26	735	74,59,821
मिजोरम	11	209	20,85,172
नागालैंड	6	38	1,76,986
ओडिशा	2,455	39,759	21,30,38,739
पंजाब	4,284	79,693	41,32,75,383
राजस्थान	6,817	1,39,350	63,23,29,361
सिक्किम	75	1,970	1,31,69,008
तमिलनाडु	9,965	3,33,136	1,32,85,47,759
तेलंगाना	3,232	1,15,940	47,27,37,611
त्रिपुरा	122	2,768	1,62,53,335
उत्तर प्रदेश	7,481	1,81,084	96,80,62,664
उत्तराखंड	1,606	43,138	21,76,19,003
पश्चिम बंगाल	4,379	92,683	40,00,28,160
योग	**91,980**	**25,71,186**	**12,03,59,57,835**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3348

सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

औद्योगिक संगठनों में कार्यरत मजदूर/श्रमिक

3348. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों में कार्यरत मजदूरों/श्रमिकों की राज्य-वार और कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश के विभिन्न संगठनों में श्रमिकों का लगातार शोषण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) के माध्यम से राज्यों सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वर्ष 2019 के दौरान पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की संख्या का राज्य-वार विवरण, जो कि उपलब्ध अंतिम आंकड़े हैं, अनुबंध में है।

(ख) और (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 1952 का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन भी कर रही है। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना; वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

कार्यान्वित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।

इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 इत्यादि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों के अंतर्गत श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण का ध्यान रखा जाता है।

इसके साथ-साथ, संसद द्वारा अधिनियमित और दिनांक 29.09.2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित "व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी), 2020" में भी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित उपबंध विद्यमान हैं। ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 को अभी लागू नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): जब भी शिकायतों के माध्यम से या केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया जाता है, संबंधित अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

केंद्रीय क्षेत्र में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं तथा राज्य क्षेत्र के मामले में निरीक्षण संबंधित राज्य के श्रम विभागों द्वारा किए जा रहे हैं।

इन निरीक्षणों के दौरान, यदि कोई अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उन्हें ठीक किया जाता है और यदि अपेक्षित हों तो अभियोजन चलाएं जाते हैं।

* ****

अनुबंध

"औद्योगिक संगठनों में कार्यरत मजदूर/श्रमिक" के संबंध में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 09.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2019 के दौरान पंजीकृत कारखानों में नियोजन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामगारों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5435
2	आंध्र प्रदेश	958024
3	अरुणाचल प्रदेश	7517
4	असम	287563
5	बिहार	201917
6	चंडीगढ़	1089
7	छत्तीसगढ	340273
8	दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली	197480
9	दिल्ली	434350
10	गोवा	100522
11	गुजरात	1834792
12	हरियाणा	1113571
13	हिमाचल प्रदेश	353020
14	जम्मू और कश्मीर	70290
15	झारखंड	312823
16	कर्नाटक	1578320
17	केरल	619738
18	मध्य प्रदेश	426297
19	महाराष्ट्र	2603179
20	मणिपुर	14527
21	मेघालय	14959
22	मिजोरम	285
23	नागालैंड	12854
24	उड़ीसा	383982
25	पुदुचेरी	81988
26	पंजाब	746731
27	राजस्थान	554652
28	तमिलनाडु	2161021
29	तेलंगाना	607260
30	त्रिपुरा	58019
31	उत्तर प्रदेश	1793371
32	उत्तराखंड	677007
कुल		**18552856**

आंकड़ा स्रोत: डीजीफासली के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3349

सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएफओ द्वारा निवेश

3349. श्री ए. गणेशमूर्ति
श्री एस. रामलिंगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ ने अपनी वार्षिक जमा राशि के एक हिस्से को अवसंरचना निवेश न्यास में निवेश करने का निर्णय लिया है;
(ख) अर्थव्यवस्था पर इस तरह के निवेश के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ईपीएफओ द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश प्रस्तावित है; और
(घ) इस निवेश के माध्यम से अपेक्षित कुल प्रतिलाभ/लाभ कितना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अवसंरचना निवेश न्यास में कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) से (घ): ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3350

सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

असंगठित और अकुशल श्रमिकों हेतु योजना

3350. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की असंगठित और अकुशल श्रमिकों के लिए कोई योजना है या कोई योजना बनाने का विचार है;
(ख) क्या सरकार का असंगठित और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार के पास इसके लिए आरक्षित निधि है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार असंगठित कामगारों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं चला रही है। उदाहरणतः, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान की जाती है जिसका शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया है। स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो वर्ष 2018 में शुरू की गई एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है। वृद्धावस्था सुरक्षा एक योजना नामतः प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) जो मार्च, 2019 में शुरू की गई है, के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं के अलावा, कुछ और योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से जन वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएमएसवीएनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना, आदि भी असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता के मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

...जारी पृष्ठ 2/-

(ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, अनुसूचित रोजगारों में लगे असंगठित क्षेत्र के अकुशल कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है क्योंकि यह नियोक्ताओं को किसी अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए क़ानून के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पांच साल से अनधिक अंतराल पर संशोधित करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में कृषि सहित अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को अंतिम बार 19.01.2017 से संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बढ़ती कीमतों से निपटने हेतु, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर छह महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है। परिवर्ती मंहगाई भत्ता अंतिम बार 01.04.2021 को संशोधित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को मजदूरी संहिता, 2019 में सम्मिलित किया गया है। मजदूरी संहिता 2019, सभी रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को सार्वभौमिक बनाती है और न्यूनतम मजदूरी का उपबंध करती है। संहिता के उपबंधों के तहत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा तय की गई मजदूरी की न्यूनतम दर पहले से तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग): असंगठित कामगारों की योजना के संदर्भ में, कोई आरक्षित निधि नहीं है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में, जो हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, में धारा 141 के तहत असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को वित्तपोषित करने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा निधि सृजित करने के उपबंध किए गए हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3375

सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

दुर्घटना के मामले में श्रमिकों के लिए योजनाएं

3375. श्री रामचरण बोहरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगिठत श्रमिकों, विशेषकर ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर दुर्घटनाओं के मामले में योजनाओं की निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्य-वार और योजना-वार विवरण क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित कृषि श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ड़) सरकार द्वारा विशेष रूप से देश में खेतिहर मजदूर के कल्याण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड़): ग्रामीण और कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है जो वर्ष 2015 शुरू की गई थी। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ किसी कारणवश मृत्यु होने पर और स्थायी निःशक्तता होने पर 2 लाख रूपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 4 लाख रुपये और आंशिक निःशक्तता होने पर 1 लाख रूपये है। दोनों योजनाओं का वार्षिक प्रीमियम 342/- रुपये है। 342/- रुपये का प्रीमियम संबंधित व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जो बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत संचयी पंजीकरण क्रमशः 10,53,42,422 और 23,66,88,220 हैं।

इन योजनाओं के अलावा, कुछ और योजनाए जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएमएसवीएनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना, आदि भी ग्रामीण और कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3383
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर

3383. श्री संजय जाधवः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में युवाओं के लाभ के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बड़े निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र के परभणी और उस्मानाबाद जिलों में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में क्या प्रगति की गई है और इसमें शामिल योजनाओं के नाम क्या है;
(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र में जिला-वार रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं;
(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप परभाणी और उस्मानाबाद जिलों के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में 01.04.2016 को प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

भारत सरकार रोजगार मिलान, आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस परियोजना के तहत रोजगार मेलों के आयोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ख) से (ङ): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने महास्वयं पोर्टल विकसित किया है जो रोजगार चाहने वालों को उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों को जानने में मदद करता है। इसके अलावा, ऑनलाइन रोजगार मेले, राज्य स्तरीय रोजगार मेले भी आयोजित किए गए और अप्रैल, 2020- जून, 2021 के दौरान आयोजित 263 रोजगार मेलों के माध्यम से 2987 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जिला-वार विवरण अनुबंध-I-III में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी से दिसंबर 2019 के अंत तक पंजीकरण, अधिसूचित, जमा करने, नियोजन और चालू रजिस्टर के लिए अभ्यर्थियों को दर्शाने वाला						
क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित	प्रस्तुत करना	नियोजन चालू/बंद	चालू रजिस्टर
1	मुंबई	65068	67664	26878	39132	350608
2	ठाणे	60298	27844	24205	17510	328565
3	रायगढ़	12350	2710	961	3014	85099
4	रत्नागिरि	7131	6250	1312	1517	60057
5	सिंधुदुर्ग	4693	1060	6042	910	44398
मुंबई डिवीजन		149540	105528	59398	62083	868727
6	नासिक	44937	29163	6872	17194	252708
7	धुले	11763	1611	10277	3016	98728
8	नंदुरबारी	7050	534	3098	1411	41116
9	जलगांव	28529	17086	62865	8076	199947
10	अहमदनगर	34353	6577	4118	5895	194179
नासिक डिवीजन		126632	54971	87230	35592	786678
11	पुणे	84462	97830	52405	37261	417204
12	सतारा	22916	19027	17500	7618	133868
13	सांगली	22448	5805	9543	5190	149729
14	सोलापुर	28337	59734	17599	4952	192331
15	कोल्हापुर	32960	6068	16375	9218	207742
पुणे डिवीजन		191123	188464	113422	64239	1100874
16	औरंगाबाद	37850	53702	20251	8885	260619
17	जालना	17978	895	512	1665	93240
18	परभनी	20495	3809	195	2950	99430
19	हिंगोली	10021	207	479	3070	48095
20	बोली	34041	517	5203	2311	167164
21	नांदेड़	13551	341	2784	187	118343
22	उस्मानाबाद	15038	748	2332	3139	80730
23	लातूर	22661	25014	1128	2502	133321
औरंगाबाद डिवीजन		171635	85233	32884	24709	1000942
24	बुलढाना	14379	1548	4377	1607	126676
25	अकोला	10211	524	3031	1578	94655
26	वाशिम	6207	297	4167	671	50993
27	अमरावती	18701	8506	2674	2495	162205
28	यवतमाल	13829	12117	14550	2232	110057
अमरावती डिवीजन		63327	22992	28799	8583	544586
29	वर्धा	9137	1437	5121	582	77080
30	नागपुर	30447	7219	23264	3070	260151
31	भंडार:	10255	333	928	256	91000
32	गोंदिया	10017	620	3477	225	81060
33	चंद्रपुर	14647	821	1414	730	127929
34	गडचिरोली	9887	27	581	27	50990
नागपुर डिवीजन		84390	10457	34785	4890	688210
योग		786647	467645	356518	200096	4990017

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी से दिसंबर 2020 के अंत में पंजीकरण, अधिसूचित, जमा करने, नियोजन और चालू रजिस्टर के लिए अभ्यर्थियों को दर्शाने वाला

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित	प्रस्तुत करना	नियोजन चालू/बंद	चालू रजिस्टर
1	मुंबई	26010	38062	14636	16478	126206
2	मुंबई सुभे	32540	94110	59365	21726	244748
3	ठाणे	35254	47878	32800	13758	299723
4	पालघर	13236	33340	3750	7612	55962
5	रायगढ़	12365	16118	2896	5096	92368
6	रत्नागिरि	6316	4259	3571	1576	64797
7	सिंधुदुर्ग	3890	10756	1815	929	47359
मुंबई डिवीजन		129611	244523	118833	67175	931163
8	नासिक	34459	110779	29693	12250	274917
9	धुले	4973	3432	9307	431	103270
10	नंदुरबारी	3709	578	2520	280	44545
11	जलगांव	20115	20894	82408	7941	212121
12	अहमदनगर	28460	11165	13362	7623	215016
नासिक डिवीजन		91716	146848	137290	28525	849869
13	पुणे	69403	186283	52413	39069	447538
14	सतारा	19465	29422	37766	5211	148122
15	सांगली	16364	10461	13788	5402	160691
16	सोलापुर	21223	16473	16493	5018	208536
17	कोल्हापुर	28237	19332	13013	10224	225755
पुणे डिवीजन		154692	261971	133473	64924	1190642
18	औरंगाबाद	25493	39538	64942	8060	278052
19	जालना	11012	3921	4157	2639	101613
20	परभनी	9357	9827	3511	2358	106429
21	हिंगोली	5497	3783	1181	2244	51348
22	बोली	10378	7655	8152	2330	175212
23	नांदेड़	14740	6411	2760	4898	128185
24	उस्मानाबाद	8342	3577	9159	2564	86508
25	लातूर	12556	27450	5025	1338	144539
औरंगाबाद डिवीजन		97375	102162	98887	26431	1071886
26	बुलढाना	9385	2498	5715	1273	134788
27	अकोला	7900	5215	4559	1727	100828
28	वाशिम	3575	1501	2351	708	53860
29	अमरावती	11814	6765	12307	3593	170426
30	यवतमाल	9888	6095	6037	1525	118420
अमरावती डिवीजन		42562	22074	30969	8826	578322
31	वर्धा	6504	3926	5398	634	82950
32	नागपुर	25337	13760	18859	1148	284340
33	भंडार:	8103	1468	3363	122	98981
34	गोंदिया	6224	861	2139	186	87098
35	चंद्रपुर	8987	3988	6221	1474	135442
36	गडचिरोली	4012	315	4009	41	54961
नागपुर डिवीजन		59167	24318	39989	3605	743772
योग		575123	801896	559441	199486	5365654

अनुबंध-III

लोक सभा के दिनांक 09-08-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी से जून 2021 के अंत में पंजीकरण, अधिसूचित, जमा करने, नियोजन और चालू पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित	प्रस्तुत करना	नियोजन	चालू रजिस्टर
1	मुंबई	12157	15100	72223	9020	129343
2	मुंबई सुबे	18366	44665	101559	14249	248865
3	ठाणे	13983	13908	78638	7532	306174
4	पालघर	4785	9238	13966	3137	57610
5	रायगढ़	3087	2039	7671	782	94673
6	रत्नागिरि	1832	481	9173	211	66418
7	सिंधुदुर्ग	976	607	8153	99	48236
मुंबई		55186	86038	291383	35030	951319
8	नासिक	12161	22626	35673	5825	281253
9	धुले	1526	746	14559	101	104695
10	नंदुरबारी	888	140	4441	93	45340
11	जलगांव	2733	7055	90033	354	214500
12	अहमदनगर	10817	6688	19885	5206	220627
नासिक डिवीजन		28125	37255	164591	11579	866415
13	पुणे	30629	81160	64954	20181	457986
14	सतारा	5102	1507	19914	502	152722
15	सांगली	5450	3075	32555	1387	164754
16	सोलापुर	7438	3557	21941	1831	214143
17	कोल्हापुर	8491	2680	28325	1150	233096
पुणे डिवीजन		57110	91979	167689	25051	1222701
18	औरंगाबाद	8005	11795	40477	1699	284358
19	जालना	3736	152	5231	222	105127
20	परभनी	4610	4747	5192	1051	109988
21	हिंगोली	2253	1296	2989	1080	52521
22	बोली	3431	1821	12799	476	178167
23	नांदेड़	2299	446	9253	265	130219
24	उस्मानाबाद	3034	692	6299	637	88905
25	लातूर	2907	5553	8477	45	147401
औरंगाबाद डिवीजन		30275	26502	90717	5475	1096686
26	बुलढाना	2328	2273	15965	134	136982
27	अकोला	1210	1605	10514	46	101992
28	वाशिम	765	2779	4256	133	54492
29	अमरावती	2114	1067	20827	423	172117
30	यवतमाल	1225	740	11419	82	119563
अमरावती डिवीजन		7642	8464	62981	818	585146
31	वर्धा	1314	1018	8391	117	84147
32	नागपुर	5375	6084	48719	69	289646
33	भंडार:	2596	658	14586	86	101491
34	गोंदिया	1320	350	8554	60	88358
35	चंद्रपुर	2187	637	12877	89	137540
36	गडचिरोली	467	0	3879	17	55411
नागपुर डिवीजन		13259	8747	97006	438	756593
योग		191597	258985	874367	78391	5478860

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3422

सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना

3422. श्री सुनील कुमार सोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने वेतनमान तक के कर्मचारियों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उपलब्ध है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार और कर्मचारियों के योगदान का क्या प्रावधान है;

(ग) क्या मार्च, 2020, से मई, 2020 तक कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों का अंशदान भी सरकार द्वारा किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ में लाभान्वित संस्थाओं/सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, मार्च से मई, 2020 तक के वेतन माह के दोनों अंशदान अर्थात, 12% कर्मचारियों का अंशदान और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 12% नियोक्ताओं का अंशदान, सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों के संबंध में किए गए जिनमें 100 तक कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रु. प्रति माह से कम वेतन आहरित कर रहे हैं। यह लाभ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जून से अगस्त, 2020 तक तीन वेतन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में, 5737 प्रतिष्ठानों और 91,378 सदस्यों को इस छमाही अवधि के दौरान 64.50 करोड़ रु. का लाभ दिया गया।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3426

सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएफओ में अधिकारियों का स्थानांतरण

3426. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2021 मं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अधिकारियों के स्थानांतरणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्थांनतरण आदेशों में अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने का समय लेने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार अनुमत कार्यग्रहण समय का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ये स्थानांतरण ओदश उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 में निर्धारित ईपीएफओ संबंधी 2016 की नीति का किस प्रकार से अनुपालन करते हैं और जिसमें पोस्टिंग और स्थांनतरण में पारदर्शिता की अपेक्षा होती है; और

(ड.) क्या इन स्थांनतरण ओदशों की मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई है या की जाएगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), मुख्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 06 जुलाई, 2021 को अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एसीसी) और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (आरपीएफसी-I) के स्तर के 117 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं।

(ख) और (ग): ईपीएफओ में स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने का समय केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण करने का समय) नियम, 1979 द्वारा शासित होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध किया गया है कि सरकारी कर्मचारी बाद की तारीख में कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का लाभ उठा सकता है यदि उसे पदग्रहण अवधि से पहले कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। स्थानांतरित अधिकारियों को प्रशासनिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों की कार्यभार ग्रहण अवधि की अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ): पारदर्शिता लाने हेतु ईपीएफओ में समूह 'क' अधिकारियों के लिए दिनांक 06.01.2016 की स्थानांतरण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ ईपीएफओ अधिकारी स्थानांतरण समिति (ईओटीसी), परिभाषित कार्यकाल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस आदि हेतु प्रावधान है। ईपीएफओ ने सूचित किया कि स्थानांतरण किए जाने से पूर्व अधिकारियों का डाटाबेस उनके वेबसाईट पर डाला जाता है, ईओटीसी की सिफारिशों पर स्थानांतरणों के प्रभावी होने से पहले अधिकारियों से स्थानान्तरण के लिए स्थान का विकल्प भी अधिकारियों से मांगा गया था। स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन न करने या अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को दूर करने का भी प्रावधान है।

******